पूर्व मध्य रेलवे

येलो बुलेटिन

(फरवरी-2025, अंक सं.- 80)

मुख्यालय द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:

1.	कपरपुरा स्टेशन एवं परसाबाजार स्टेशन पर, स्टेशन संचालन नियमावली केवल अंग्रेज़ी संस्करण में उपलब्ध थी। जबकि इसे DIGLOT FORM में उपलब्ध होना चाहिए।
2.	दिनांक 27.02.2025 को ट्रेन संख्या 15203 के फुट प्लेट निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि किमी 191/01 से 191/15 तक 50 किमी प्रति घंटे की गति-प्रतिबंध और 22/17 से 22/15 तक 30 किमी प्रति घंटे की गति-प्रतिबंध के लिए सतर्कता संकेतक बोर्ड पर गति का उल्लेख नहीं किया गया था।
3.	परसाबाजार के स्टेशन संचालन नियमावली में यह उल्लिखित है कि ट्रेन कॉमन लूप से थ्रू-पास कर सकती है, जबकि यह देखा गया है कि सिग्नल व्यवस्था प्रणाली के कारण, डाउन ट्रेन कॉमन लूप से थ्रू-पास नहीं कर सकती।
4.	रामगढ़वा-रक्सौल खंड के बीच एलसी गेट संख्या 10/सी/टी पर स्लाइडिंग बूम का साप्ताहिक परीक्षण नहीं किया जा रहा था, साथ ही स्लाइडिंग बूम परीक्षण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं थी।
5.	कुदरा स्टेशन पर ई-टीएसआर (e-TSR) पिछले छह महीनों से कार्यशील स्थिति में नहीं था।
6.	गया और डेहरी ऑन सोन के बीच ट्रेन संख्या 13348 के फुट प्लेट निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कष्ठा अप होम सिग्नल दाईं ओर स्थित है। इसे बाईं ओर स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है क्योंकि दृश्यता मानदंड स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देता है।
7.	गया स्टेशन पर, स्टेशन संचालन नियमावली DIGLOT रूप में उपलब्ध नहीं थी, बल्कि अंग्रेज़ी और हिंदी में अलग-अलग पुस्तकों में थी। साथ ही, लाइनों की होल्डिंग क्षमता (Holding Capacity) को सीएसआर (CSR) के बजाय सीएएल (CAL) के संदर्भ में उल्लिखित किया गया था।
8.	सोनपुर मंडल में भरपुरा पहलेजा घाट स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि भरपुरा पहलेजा घाट के स्टेशन का कोड "PHLG" से परिवर्तित होकर "BPGJ" कर दिया गया है, लेकिन स्टेशन सिग्नल पोस्ट पर अब भी पुराना कोड ही अंकित है।
9.	दिनांक 15.02.2025: ट्रेन संख्या 12565 के ब्रेक वान निरीक्षण के दौरान स्ट्रेचर एवं ईएल बॉक्स उपलब्ध नहीं था।
10.	आरा स्टेशन पर, फॉर्म संख्या टी/806 आमतौर पर दो प्रतियों में तैयार किया जाता है, जिसमें एक प्रति शंटर/एलपी को दी जाती है तथा दूसरी पर शंटिंग स्टाफ की स्वीकृति ली जाती है। हालांकि, रिकॉर्ड प्रति भरी ही नहीं जा रही थी।

विशेष निर्देश:

1. शंटिंग नियमों (सामान्य एवं सहायक नियम 5.13, 5.14, 5.16 एवं 5.21) का अनुपालन शंटिंग के दौरान कड़ाई से किया जाए।
2. सुनिश्चित किया जाए कि पॉइंट्स की सेटिंग एवं ताला बंदी में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट का उपयोग न किया जाए।
3. सुनिश्चित किया जाय कि ऑलराइट सिग्नल के आदान-प्रदान के लिए चमकीला-पीला वृत्ताकार सभी स्टेशनो पर है और दिखाई दे रहा है।
4. सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य नियम 3.38 (2) एवं सहायक नियम 5.19 (2) (1) के अनुसार अवरोधित लाइनों के विरुद्ध कांटे सेट किए जाएँ।
5. लोड स्टेबल करते समय सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 के प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए।

अनुपालन हेतु निर्देश:

सभी मंडलों को सलाह दी जाती है कि सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेष निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।

MANOJ KUMAR RANJAN

Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.03.07 16:04:13 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सामान्य)

पूर्व मध्य रेलवे

सं. ई.सी.आर./परि.सं./येलो बुलेटिन/87/505 दिनांक: 07.03.2025

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर एवं भूली को सूचनार्थ।

EAST CENTRAL RAILWAY

YELLOW BULLETIN

(February 2025, ISSUE NO. 80)

Irregularities/Deficiencies Observed During Headquarters Inspections

1.	At KVC and PRBZ stations, only the English version of the Station Working Rules (SWR) was available. It should be in DIGLOT form.
2.	During a footplate inspection of train 15203 on 27.02.2025, it was observed that the speed was not mentioned on the caution indicator board for 30 KMPH restrictions between km 191/01 to 191/15 and for 50 KMPH restrictions between km 22/17 to 22/15.
3.	The SWR at PRBZ station states that a train can pass through the common loop. However, due to the existing signaling arrangement, a down train cannot pass through the common loop.
4.	At LC Gate No. 10/C/T between RGH and RXL, the weekly testing of the sliding boom was not conducted, and the sliding boom testing register had not been updated.
5.	At KTQ station, the e-TSR has been non-functional for the last six months.
6.	During a footplate inspection of train 13348 between GAYA and DOS, it was found that the KSTA Up Home Signal is placed on the right side. Its relocation to the left side should be examined, as visibility criteria appear to permit this adjustment.
7.	At GAYA station, the SWR was not available in DIGLOT form. Instead, separate books in English and Hindi were available. Additionally, the holding capacity of lines was mentioned in terms of CAL instead of CSR.
8.	During an inspection at BPGJ station in SEE Division, it was noted that the station code for Bharpura Pahleza Ghat had been changed from PHLG to BPGJ, but the old code was still displayed on the station's signal post.
9.	During a brake van inspection of train 12565 on 15.02.2025, it was found that the stretcher and EL box were missing.
10	At ARA station, Form No. T/806 is usually prepared in two copies. One copy is handed over to the shunter/LP, while the second copy should be acknowledged by the shunting staff. However, it was observed that the record copy remained blank.

Special Attention Required

1. Strict adherence to shunting rules as per G&SR 5.13, 5.14, 5.16, and 5.21 must be ensured.
2. No shortcuts should be taken in setting, clamping, and padlocking of points.
3. The bright yellow circle for exchanging the "All Right" signal must be available and visible at all stations.
4. Setting of points against blocked lines must be in accordance with GR 3.38(2) and SR 5.19(2)(i).
5. Strict compliance with stabling rules as per G&SR 5.23 must be maintained.

Instruction:

Divisions are advised to ensure the immediate circulation of this bulletin (in yellow-coloured printout) to all concerned for prompt action and compliance with the above irregularities, anomalies, and special attention areas. A report on compliance should be sent to this office for further action.

MANOJ KUMAR RANJAN

Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN Date: 2025.03.07 16:05:06 +05'30'

(M. K. Ranjan)

Dy. COM/G/ECR/HJP

No. ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505 Dated: 07.03.2025

Copy to:

1. PCOM & PCSO – For kind information.
2. DRM – DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ – For information.
3. Sr. DOM – DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ – For information and necessary action.
4. ZRTI MFP & BHULI – For information.